

57

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा० मधु खरे

सदस्य

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 3755-तीन/2015 - विरुद्ध आदेश दिनांक
5-6-2014 - पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी
- प्रकरण क्रमांक 132/2013-14 स्वमेव निगरानी

श्रीमती लीला देवी यादव पत्नि लालसाहव

ग्राम एजबारा एंव बदरवास तहसील

बदरवास जिला शिवपुरी

---आवेदक

विरुद्ध

1- म० प्र० शासन

---असल अनावेदक

(श्री एम० पी० बरुआ अभिभाषक - आवेदक)

(श्री अनिल श्रीवास्तव अभिभाषक - अनावेदक)

आ दे श

(दिनांक 23 दिसम्बर, 2015)

अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक
132/2013-14 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक
5-6-2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की
धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी दिनांक 17-11-2015 को
प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि शासकीय पट्टेदारों की भूमियां
कलेक्टर की बिना अनुमति के विक्रय वावत् गठित जांच समिति की

9



रिपोर्ट पर ग्राम मझारी स्थित भूदान बोर्ड के पट्टे की भूमि सर्वे 44, 48, 59, 162, 164 कुल किता 5 कुल रकबा 2.13 हैक्टर रमका वेवा पूरन, सुल्तार, शँकर, रघुवर पुत्र पूरन, रामप्यारी, मुल्लो पुत्री पूरन आदिवासी निवासी ग्राम मझारी के नाम थी, जिसका विक्रय कलेक्टर शिवपुरी की अनुमति के बिना आवेदक के हित में पाये जाने से एवं जांच में भूमि श्यामलाल पुत्र कालू भील एवं लाल साहव पुत्र विक्रम सिंह यादव के नाम पाये जाने पर अपर कलेक्टर शिवपुरी ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 132/2013-14 दर्ज कर पट्टाग्रहीताओं को एवं आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसके क्रम में वह अपर कलेक्टर के समक्ष अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हुये किन्तु कारण बताओ नोटिस उत्तर बचाव में प्रस्तुत नहीं किया। अपर कलेक्टर शिवपुरी ने अनुविभागीय अधिकारी कोलारस से प्रतिवेदन दिनांक 14.2.13 प्राप्त कर आदेश दिनांक 5-5-14 पारित किया एवं पट्टेदार की भूमि कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय होना पाकर पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों का पालन न करने से संहिता की धारा 165 के अंतर्गत विक्रय पत्र शून्य घोषित करते हुये भूमि शासकीय मद में दर्ज करने के आदेश दिनांक 5-6-14 को दिये। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 17-11-2015 को प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के निगरानी के ग्राह्यता पर तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में तथा अवधि विधान की धारा-5 में अंकित किये हैं। अनावेदक शासन के अभिभाषक ने निगरानी आदेश दिनांक 5-6-14 के विरुद्ध दिनांक 17-11-15 को प्रस्तुत करने, आदेश की जानकारी दिनांक को साक्ष्य सहित प्रस्तुत नहीं करने तथा आदेश

०



की नकल प्राप्त होने पर भी विलम्ब से प्रस्तुत करने का तर्क देते हुये अवधि-वाह्य होना होना बताते हुये निरस्त करने की मांग रखी।

5/ अवधि विधान की धारा-5 के तथ्यों के अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर शिवपुरी का आदेश दिनांक 5-6-14 को पारित हुआ है आदेश की जानकारी 1-9-15 को बताई गई परन्तु उसके समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त भी निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब इसलिये भी क्षमा योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक को अपर कलेक्टर शिवपुरी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि 7-8-15 को आवेदन देने पर दिनांक 14-8-15 को प्राप्त हुई। दिनांक 14-8-15 से निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक 17-11-2015 के बीच की अवधि 3 माह से अधिक समय के दिन-प्रतिदिन का हिसाब आवेदक के अभिभाषक नहीं दे सके एवं अन्य प्रकार से समाधान भी नहीं करा सके। अतएव निगरानी अवधि-वाह्य प्रस्तुत होने के कारण गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है।



(डॉ० मधु खरे)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर